


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.18(आई-4)निजभूस/आईडब्ल्यूएम्पी/2011/3257-523 दिनांक: 9-5-11

कार्यालय आदेश

जलग्रहण विकास परियोजनाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय नाइट एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) की पुराना बैठक -दिनांक: 28.04.2011 में दिये गये निर्देश के अनुकारण में आईडब्ल्यूएम्पी परियोजनाचयन प्रत्येक जिला जलग्रहण विकास इकाई एवं प्रत्येक परियोजना कियान्चयन एजेंसी के लिए पर विना दिनांक द्वारा निर्दिष्ट सूची के अनुसार एक प्रत्येक विभाग पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


जिला जलग्रहण विकास इकाई स्तर पर उक्त सूची पर होने वाला व्यय आईडब्ल्यूएम्पी परियोजनाचयन जिला जलग्रहण विकास इकाई स्तर पर उपलब्ध प्रबंधन मद (Monitoring Head) से तथा परियोजना कियान्चयन एजेंसी स्तर पर उक्त-वाहन-प्र.-होने-वाला-व्यय भी आई.ए. स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद (Administrative Head) से वहन किया जायेगा।

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक: एफ.18(आई-4)निजभूस/आईडब्ल्यूएम्पी/2011/3257-523 दिनांक: 9-5-11

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विभाग) एवं अग्रज एस.एल.एन.ए. राज, जयपुर।
2. जिला सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं संसाधनी राज-विभाग, राज, जयपुर।
3. जिला सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज, जयपुर।
4. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
7. सहायक निदेशक (प्रशासन/एम्आईईएस) ज.प्र.वि. एवं भू-संरक्षण, राज, जयपुर।
8. उपनिदेशक (आईडब्ल्यूएम्पी/प्रावि/पु.वि./कृषि/प्रशिक्षण/राजप्रवि/प्रशासन/लाईवलिड्स), जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
9. परियोजना प्रबंधक, जिला जलग्रहण विकास इकाई, जिला परियट समस्त
10. लेखाधिकारी, जिला परियट (समस्त)
11. परियोजना कियान्चयन एजेंसी एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति
12. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि: उक्त आदेश निर्गम्य वेब साईट पर अपलोड करवा।

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक